न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–360 / 2026
(चकाई थाना कांड संख्या 115 / 2025 से उत्पन्न)

उपस्थित – कमला प्रसाद,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

अनिल पासवान बनाम राज्य सरकार

आदेश

09.04.2026

1– प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन **अनिल पासवान** उम्र लगभग 45 वर्ष पिता–रामदेव पासवान साकिन–बालागोजी, पोस्ट उरबा, थाना चकाई, जिला जमुई द्वारा चकाई थाना कांड संख्या 115 / 2025 धारा 135 विद्युत अधिनियम में गिरफ्तारी की आशंका को लेकर दाखिल किया गया है। उक्त अग्रिम जमानत आवेदन पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री मिहिर कुमार सिंह तथा विद्वान लोक अभियोजक श्री शक्तिलाल शर्मा को सुना गया।

2– अभियोजन का संक्षेप में कथन है कि दिनांक 16.05.2025 को विद्युत बकायेदारों के विद्युत सम्बन्ध विच्छेदन तथा उर्जा चोरी कि खिलाफ छापेमारी दल का गठन किया गया। जिसमें सूचक के अलावे श्री फाल्गुनी दूबे(मानवबल), श्री बबलू पासवान(मानवबल), श्री गोपाल दास (मानवबल), श्री सुमन सिंह(मानवबल), विद्युत आपूर्ति प्रशाखा माधोपुर के बिजली मिस्त्री मौजूद थे।

जांच समय लगभग 1:35 बजे अपराह्न में अनिल पासवान, पिता रामदेव पासवान, ग्राम बालागोजी, पो0 उरबा पंचायत पेटरपहड़ी, थाना चकाई जिला जमुई घरेलू परिसर पर पहुंचा तथा जांच के क्रम में पाया गया कि इनके परिसर में पूर्व से एक विद्युत कनेक्शन है जिसका उपभोक्ता संख्या 239200526431 है। इनके घरेलू परिसर में स्थापित स्मार्ट मीटर का रिचार्ज खत्म हो जाने के कारण लाईन डिस्कनेक्ट हो गया था परंतु इनके द्वारा अपने मीटर को बिना रिचार्ज किये सर्विस तार को छीलकर किसी अन्य तार के माध्यम से टोका जोड़कर अवैध रूप से 0.0069 किलोवाट विद्युत उर्जा का उपयोग किया जा रहा है। इनके इस कार्य से सा0 बि0 पा0 कं0 लिमिटेड को लगभग राशि 2295 / –रू0 की राजस्व की क्षति हुई है। इनके घरेलू परिसर में पूर्व का बकाया राशि 29192 / –रू0 है। इनके द्वारा कुल देय राशि 2295+29192 – कुल 31487(इकतीस हजार चार सौ सतासी) / –रू0 मात्र है। विद्युत चोरी में प्रयुक्त तार को काटकर जब्त कर लिया गया जिसे जब्ती सूची में दर्शाया गया है।

3– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए निवेदन करते है कि प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन के पूर्व आवेदक की ओर से सत्र न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय में अन्य कोई नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक को धारा 35(3) बी0एन0एस0एस0 का लाभ नहीं दिया गया है। पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की आशंका को लेकर आवेदक द्वारा यह अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदक बिल्कुल निर्दोष है इसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। यह कि आवेदक कुल नुकसान की राशि का 25 प्रतिशत जमा करने के लिए तैयार है तथा आवेदक धारा 482(2) बी0एन0एस0एस0 के तहत न्यायालय के सभी शर्तों को मानने को तैयार है तथा आवेदक न्यायालय के संतुष्टियोग्य बंध पत्र दाखिल करने को तैयार है। अतः आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते हैं।

4– अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

5– उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया जिससे विदित होता है कि आवेदक प्राथमिकी में नामजद अभियुक्त है तथा प्राथमिकी धारा 135 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। इस वाद में आवेदक पर आरोप है कि इनके परिसर में पूर्व से एक विद्युत कनेक्शन है जिसका उपभोक्ता संख्या 239200526431 है। इनके घरेलू परिसर में स्थापित स्मार्ट मीटर का रिचार्ज खत्म हो जानक के कारण लाईन डिस्कनेक्ट हो गया था परंतु इनके द्वारा अपने मीटर को बिना रिचार्ज किये सर्विस तार को छीलकर किसी अन्य तार के माध्यम से टोका जोड़कर अवैध रूप से 0.0069 किलोवाट विद्युत उर्जा का उपयोग किया जा रहा हहै। इनके इस कृति से सा0 बि0 पा0 कं0 लिमिटेड को लगभग राशि 2295 / –रू0 की राजस्व की क्षति हुई है। इनके घरेलू परिसर में पूर्व का बकाया राशि 29192 / –रू0 है। इनके द्वारा कुल देय राशि 2295+29192 – कुल 31487(इकतीस हजार चार सौ सतासी) / –रू0 मात्र है। विद्युत चोरी में प्रयुक्त तार को काटकर जब्त कर लिया गया।

लगातार.....

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–360 / 2026
(चकाई थाना कांड संख्या 115 / 2025 से उत्पन्न)

उपस्थित – कमला प्रसाद,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

अनिल पासवान बनाम राज्य सरकार

09.04.2026 उक्त क्षति में धारा 152 के अन्तर्गत कम्पाउंडिंग की राशि सम्मिलित नहीं है।

चूंकि आवेदक जो एक मजदूर हैं उनकी समाजिक एवं आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये इस वाद के तथ्यपूर्ण विवेचन एवं वाद की तथ्य एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदक द्वारा क्षतिपूर्ति की राशि का चालीस प्रतिशत (40%) साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को भुगतान करने पर तथा शेष राशि को तीन बराबर किस्तों में इस आदेश से तीन माह के अन्दर जमा करने पर एवं कम्पाउन्डिंग शुल्क भी अंतिम किश्त अथवा उसके पहले जमा करने का शपथपत्र न्यायालय में देने पर आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आवेदक द्वारा इस आदेश की तिथि से 30 दिन के अन्दर अधीनस्थ न्यायालय में बकाया राशि का चालीस प्रतिशत (40%) शुल्क जमा कर, उसकी रसीद प्रस्तुत करने पर तथा इस आदेश में उल्लिखित बातों का शपथ पत्र दाखिल करने पर एवं आवेदक द्वारा स्वयं न्यायालय में आत्मसर्पण करने अथवा इस वाद में पुलिस द्वारा आवेदक को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने पर एवं आवेदक द्वारा 10,000 / –रू0 के दो जमानतदार समान प्रतिभूओं सहित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार न्यायालय में प्रस्तुत करने पर एवं 438(2) द0प्र0सं0 में उल्लिखित शर्तों का पालन करने पर आवेदक **अनिल पासवान** को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। यदि आवेदक उल्लिखित शर्तों का पालन नहीं करते हैं तो यह आदेश प्रभाहीन हो जायेगा।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई।

मेमो संख्या–..... दिनांक–.....
प्रति अग्रिसारित न्यायालय–श्री अनिमेश रंजन विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी, जमुई।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई।